

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax: 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:----- बी० एस० एम० एफ० सी०, /

पटना, दिनांक: -----

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्मोहित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2017-18 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-20.06.2019 से 22.06.2019 को चयनित लघु ऋण के आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा खगड़िया जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित करणकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि मो० 2,00,000/- (दो लाख रूपये) की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1660 दिनांक 25.10.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है:-

Sl. No	चयन सूची क्रमांक	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	10/0071	NILU PRAWEEEN, W/o- MD ALI HASAN, Vill.-MUSKIPUR TOLA, Block-GOGRI, PS-GOGRI, PO-JAMALPUR, Distt.-KHAGARIA-851203	A/c No.:- 583110510000443 IFSC: BKID0005831	SILAI KADHAI	100000	500	99500
2.	14	MD TANJEEM ALAM, S/o- MD. ARIF ALAM, Vill.-ISLAMPUR, Block-KHAGARIA, PS-MUFFSIL, PO-MATHURAPUR, Distt.-KHAGARIA-851201	A/c No.:- 33615764114 IFSC: SBIN0002964	GENERAL STORE	100000	500	99500
TOTAL					2,00,000	1000	199000

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियों/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पतियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह०/-


प्रबंध निदेशक

ज्ञापक: 324

दिनांक: 13-2-2020

प्रतिलिपि:-जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/

लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


प्रबंध निदेशक